न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 63/2017

RCMS No. 207/00278

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
1 मिश्रीदेवी पुत्री हरजीराम पत्नी मोहनलाल जाति ढोली निवासी देवगढ़, वर्तमान निवासी वोपारी तहसील मारवाड़ जंक्शन		1. केवलराम पुत्र खीवाराम 2. प्रकाश पुत्र नारायणलाल जातिगण लौहार निवासीगण वोपारी तहसील मारवाड़ जंक्शन 3. ग्राम पंचायत वोपारी जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2

–: निर्णय :–

दिनांकः– 31/01/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, वोपारी द्वारा मिसल संख्या 75/1976 संकल्प संख्या 3 दिनांक 20.10.1976 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता खीवाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 692 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि प्रार्थीया के भाई मोहनलाल पुत्र हरजी की पट्टासुदा भूमि है। उक्त भूमि का पट्टा संख्या 61 दिनांक 04.12.1974 को मोहनलाल के नाम से जारी हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त भूमि पर अपना मकान होना बताते हुए पट्टा जारी कराने का निवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम में विहित प्रावधानों की पालना किए बिना ही जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। चूंकि उक्त भूमि पर पूर्व में मोहनलाल के नाम से पट्टा जारी हो चुका था, तो ग्राम पंचायत को दुबारा पट्टा जारी करने की अधिकारिता ही नहीं थी। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त पट्टे की जानकारी प्रार्थी को प्राप्त होने पर प्रार्थीया द्वारा पुलिस थाना सिरीयारी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करवाई, जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया, उक्त अनुसंधान में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता खीमाराम के नाम जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह कूटरचित एवं फर्जी माना है। प्रथमतः तो ग्राम पंचायत द्वारा पट्टासुदा भूमि पर दुबारा पट्टा जारी ही नहीं किया जा सकता था, द्वितीय प्रकरण में

अति. जिला कलक्टर, पाली

ग्राम पंचायत द्वारा न तो सचिव से नक्शा तैयार करवाया एवं न ही मौका निरीक्षण किया गया। विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें निवेदन किया कि प्रार्थीया प्रकरण में व्यथित पक्षकार नहीं होने से प्रार्थीया को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है। प्रार्थीया मोहन पुत्र हरजी की वारिशान नहीं है तथा न ही प्रार्थीया वोपारी में निवास करती है, प्रार्थीया अपने ससुराल देवगढ़ में निवास करती है। प्रार्थीया द्वारा जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर मोहन पुत्र हरजी के नाम पट्टा जारी होना बताया है, किन्तु उक्त तथाकथित पट्टे की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में पूर्व में जारी पट्टा इसी भूमि का हो तथा पट्टा किन किन पडौस का या पट्टा किस नाप का बना है एवं कितनी भूमि का है, यह प्रमाणित नहीं है। मृतक मोहन पुत्र हरजी द्वारा तथाकथित पट्टा संख्या 121 की भूमि को अप्रार्थी के पिता खीमा पुत्र पाबुजी के पक्ष में दिनांक 02.02. 1967 को बेचान कर दी थी, जो पट्टा संख्या 121 की पुस्त पर दर्ज इन्द्राज दिनांक 02. 02.1976 से प्रमाणित होती है। इस कारण उक्त भूमि में प्रार्थीया का कोई हक अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया द्वारा मृतक मोहन के विवाहित होने, अविवाहित, मृतक मोहन के वारिशान बाबत कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इस स्थिति में प्रार्थीया का मृतक मोहन की वारिशान होना भी साबित नहीं है एवं न ही उसका हक अधिकार रहता है। अप्रार्थी के पिता खीमा के नाम की खरीदसुदा भूमि का पट्टा संख्या 692 जारी हुआ है, पट्टे पर सरपंच एवं ग्राम सेवक के हस्ताक्षर है, जो विधि सम्मत है। पट्टा संख्या 121 के पडौस दर्ज है, उसमें पूर्व दिशा में पडौस अप्रार्थी के पिता खीमा पुत्र पाबुजी लौहार अंकित है। अप्रार्थी के पिता पडौसी है एवं मृतक मोहन से उक्त भूखण्ड मौल खरीदा है एंव अपने स्वामित्व की भूमि का एक पट्टा बनाया गया है, जो राजस्थान पंचायत नियम 1996 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। इसके अतिरिक्त निगरानी प्रस्तुत होने के पूर्व ही खीमाजी फौत हो चुके थे तथा खीमाराम के समस्त वारिशान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। खीमाजी की पुत्री लीलादेवी भी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थी, जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर भी निगरानी खारिज़ योग्य है। मृतक मोहन द्वारा उक्त भू–खण्ड संख्या 121 दिनांक 02.02.1976 को बेचान करने के लिखत की है, जिसमें 600 रूपये में बेचान कर प्रतिफल की राशि प्राप्त कर एवं उसके बाद मोहन द्वारा अंगुष्ठ निशान किए, जो बही में मौजूद है, जिसे मोहन द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी विवादित नहीं किया एवं न ही कहीं चेलेन्ज किया। पट्टा संख्या 692 पर पट्टा जारी करने वाले सरपंच एवं नक्शा तैयार करने वाले के हस्ताक्षर मौजूद है, जबकि प्रार्थीया द्वारा जिस पट्टे की प्रति प्रस्तुत की, उसमें अंगुष्ठ निशान लगा है। अप्रार्थी के पिता के पक्ष में पट्टा वर्ष 1976 में जारी हुआ है। जिसके 40 वर्ष पश्चात प्रार्थीया द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जो काफी देरीना प्रस्तुत करने के कारण खारिज योग्य है। अतः इन समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ करावें।

अति० जिला कलक्टर, पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पंचायत कार्यालय में जैर निगरानी मिसल ही उपलब्ध है। उक्त मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि श्री खीमाराम पुत्र पाबूजी लुहार सा0 वोपारी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत वोपारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने कब्जासुदा मकान, जिसके पूर्व में आम रास्ता व नरसींगजी का नोहरा, पश्चिम में हनुमान जी की बगीची व लवार देवा मुला वगैरा का मकान, दक्षिण में सरगरा गिसा व मेणा लाला का मकान तथा उत्तर में आम रास्ता व कबुतरों का चबुतरा के मध्य अवस्थित कब्जासुदा मकान का पट्टा प्रदान कराने का निवेदन किया। इस प्रार्थना पत्र पर दिनांक 13.10.1976 को उप सरपंच द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करने तथा तीन पंचों मय सरपंच को मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उक्त आदेश की पालना में इसी दिनांक को पंचों द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मकान पुराना कब्जा सुदा होना तथा एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी कराने का निवेदन किया। जिस पर किसी प्रकार का आपत्ति इश्तिहार जारी किए बिना ही गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर दिनांक 20.10.1976 को एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने एवं मियाद गुजरने के पश्चात पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, वह दिनांक 16.10.1976 को जारी करना बताया, जबकि आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश दिनांक 20.10.1976 को पारित किए गए। इस प्रकार आदेश पारित होने से पूर्व ही आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जो सम्भव नहीं था। इसके पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण दिनांक 19.01.1977 को जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। इस प्रकार पंचायत द्वारा प्रकरण में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है। प्रार्थीया का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर पूर्व में प्रार्थीया के भाई मोहनलाल के नाम से पट्टा जारी हो चुका था, इस कारण प्रश्नगत भूमि पर दुबारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य को अप्रार्थी द्वारा भी नकारा नहीं है। इस कारण पूर्व में जारी पट्टासुदा भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा दुबारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा जारी कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, वोपारी द्वारा मिसल संख्या 75/1976 संकल्प संख्या 3 दिनांक 20.10.1976 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता खीवाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 692 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/01/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली